

हरियाणा सरकार

राजस्व निभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 सितम्बर, 1989

संख्या सा० का० 78नि०/सनि०/अनु० 309/89.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग-1 सामान्य

1. ये नियम हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1989 कहे जा सकते हैं, संक्षिप्त नाम ।
2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।
 - (क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग,
 - (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
 - (ग) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
 - (घ) “संस्था” से अभिप्राय है,—
 - (I) हरियाणा में विधि द्वारा निगमित कोई संस्था, या
 - (II) कोई अन्य संस्था-जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;
 - (ङ) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
 - (I) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय, या
 - (II) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(III) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(व) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय सेवा (ग्रुप ख)।

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे;

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त
उम्मीदवारों की
राष्ट्रिकता
अधिवास तथा
चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसाने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मालबी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित प्रमाण पत्र और दो-दो-ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उनके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयु या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि में ठीक पहले जनवरी के प्रथम दिन को या उससे पहले बाईस वर्ष की आयु से कम का या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 2 में विनिर्दिष्ट तथा भर्ती से अथवा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

नियुक्ति
अधिकारी।
अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयु या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

निरर्हताएं।

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुशेष है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग ।

9) (1) सेवा में सहायक-निदेशक/देवुलेशन अधिकारी तथा अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी—

(i) सहायक अनुसंधान अधिकारी तथा संवीक्षा निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत, और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले

से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी किन्तु केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का हकदार नहीं बनाएगी ।

परिवीक्षा ।

10 (i) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हों तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किए गए हों तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्त से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, जब तक वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, तृप्त किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो यह—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, —
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
- (ii) उसके संबंध में किसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों अनूज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी—
- (क) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राय में, संतोषजनक रहा हो तो,
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनूज्ञात करें, या
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और इसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था ;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की पारस्परिक ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनमें लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग यह किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यताक्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही स्थिति को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिससे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे, और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवा-काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का
दायित्व।

12. (i) सेवा का प्रत्येक सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

यदि

पद

के

में,
भर्ती
किया

से
रूप

तरण

न्युक्त

दस्यों
की
रिगत

दशा
एगी,
पहले
और
उनकी
सेवा-
प से

याणा
सेवा
लिए

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति-निकाय चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसको सहमति के बिना खण्ड (II) अथवा खण्ड (III) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य, समये-समय पर यथासंशोधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में निर्दिष्ट है ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (I) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ष में निर्दिष्ट है ।

वेतन, छुट्टी
पेंशन तथा अन्य
मामले ।

अनुशासन,
शास्तियां तथा
अपील ।

- टीका लगवाना । 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा ।
- राजनिष्ठा की शपथ । 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथ, विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ला हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।
- शक्ति देने की शक्ति । 17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समाचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।
- विशेष उपबन्ध । 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है ।
- आरक्षण । 19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।
- निरसन तथा व्यावृत्ति । परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
- परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क

[देखिए नियम 3]

पदों की संख्या

क्रम संख्या	पद नाम	स्थायी	अस्थायी	जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक/ टैबुलेशन अधिकारी	—	2	2	2,000-60-2,300- द० रो०-75-3,200 रु०
2	अनुसंधान अधिकारी	—	1	1	2,000-60-2,300 द० रो० 75-3,200 रु०

देश

प्रति
न

देना
कसी

पदि
ऐसा

संबंध
पछड़े
प्रवर्ग
नहीं

पचास

अनुरूप
जाता

या की
वा की

परिशिष्ट "ब"

[देखिए नियम 7]

संख्या	नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
2	सहायक निदेशक/निर्देशन अधिकारी	(i) किसी साक्षरता प्राप्त विद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में एम०ए० की उपाधि एम० ए० स्तर या बी० ए० स्तर पर सांख्यिकी के एक विषय में एक प्रश्नपत्र के साथ, यदि उम्मीदवार गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक भी हो या सांख्यिकी में एम० ए० की उपाधि रखता हो।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में एम० ए० की उपाधि एम० ए० स्तर या बी० ए० स्तर पर सांख्यिकी के एक विषय में एक प्रश्नपत्र के साथ, यदि उम्मीदवार गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक भी हो या सांख्यिकी में एम० ए० की उपाधि रखता हो।
3	अनुसंधान अधिकारी	(ii) किसी सरकारी सांख्यिकीय विभाग या दूसरी किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकीय मामलों का अध्ययन करने का तीन वर्षों का अनुभव हो।	सहायक अनुसंधान अधिकारी या संबन्धी निरीक्षक के रूप में तीन वर्षों का अनुभव रखता हो।
4			

सामलों का अध्ययन करने का तीन वर्ष का अनुभव हो।

परिशिष्ट ग

[रेखिए नियम 14 (1)]

1 संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकार	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
2		3	4	5	6	7
	सहायक निदेशक/ देवलेखन अधिकारी	[सरकार] छोटी शास्तियां	(I) वैयक्तिक फाईल (आवरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (II) परिनिष्ठा ; (III) पदोन्नति रोकना ; (IV) जेखा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसे कर्मचारी तथा संगम तथा व्यष्टि निष्काय, चाहे वह नियमित हो या नहीं	सरकार	—	—
	अनुसंधान अधिकारी					

7

6

5

4

3

2

जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी होानि की या उसके भाग की वेतन से बसूली ;

(V) वेतन वृद्धियां रोकना ;

(2) बड़ी शक्तियां

(VI) किसी विनिश्चित अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अति-रिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति को अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि को समाप्ति पर, ऐसी अवनति उनकी भावी वेतन वृद्धियां स्वयंभूत करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(VII) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर,

1	2	3	4	5	6	7
			<p>जिससे वह अवनत किया गया था, पवोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी व्युत्पत्ति तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा ;</p>			
			(VIII) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;			
			(IX) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन शर्ती नियोजन के लिए निरहता नहीं होगी ;			
			(X) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन शर्ती नियोजन के लिए सामान्यतः निरहता होगी ;			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय अन्तिम प्राधिकारी यदि कोई हो	तथा अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	6
1	सहायक निदेशक/ टेबुलेशन अधिकारी	(I) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; और	सरकार	—	—	—
2	अनुसंधान अधिकारी	(II) अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्त की समाप्ति				

ए० बैनर्जी,

सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE DEPARTMENT

Notification

The 15th September, 1989

No. G.S.R.78/Const./Art-309/89.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Land Records Statistical (Group B) Service, namely:—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Land Records Statistical (Group B) Service Rules, 1989.

Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Commission" means the Haryana Public Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana, or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purposes of these rules;

(e) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purposes of these rules;

(f) "service" means the Haryana Land Records Statistical (Group B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number
and
character
of post.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality
domicile
and
character
of
candidates
appointed
to the
Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Jamaica, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-two years or more than thirty-five years of age on or before the first day of January, next preceding the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting authority.

6. Appointment to the post in the service shall be made by the Government.

Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Qualifications

Provided that in case of direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped candidates, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the service:

Provided that the Government, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service to the post of Assistant Director/Tabulation Officer/Research Officer shall be made,—

Method of recruitment.

- (i) 50% by promotion from amongst the Assistant Research Officer and Scrutiny Inspector; and
- (ii) 50% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) Appointment by promotion shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Probation.

provided that—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post, shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be followed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
- (b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
- (i) revert him to his former post; or
- (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
- (a) if his work and conduct has, in its opinion, been satisfactory—
- (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
- (ii) confirm such person from the date of from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—
- (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service: Seniority

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also same, the order member shall be senior to the Younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under:—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay,
leave
pension
and
other
matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline,
Penal-
ties and
appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of
allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of
relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special
Provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may, impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reserva-
tions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal
and
Savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

[(See rule 3)]

Serial No.	Designation of post	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Director/ Tabulation Officer	—	2	2	Rs. 2,000—60— 2,300—EB—75— 3,200
2	Research Officer	—	1	1	Do

APPENDIX B

[See rule 7]

Serial No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Assistant Director/ Tabulation Officer	(i) Master's Degree from a recognised university in Economic or Agricultural Economics; or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the subjects either at Master's level or at B. A. Honours school in case the candidate has also graduated in the Honours school in Mathematics or Economics; or a Master's Degree in Statistics.	(i) Master's Degree from a recognised university in Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce, with Statistics as one of the subjects either at the Master's level or at the B. A. Honours school level in case the candidate has also graduated in the Honours school in Mathematics or Economics or a Master's Degree in Statistics.
2	Research Officer	(i) Three years' experience of dealing with Economic and Statistical matters in a Government Statistical office/or any other recognised institution. (ii)	(ii) Three years' experience as Assistant Research Officer or Scrutiny Inspector.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Serial No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Director/ Tabulation Officer	Government	(1) Minor penalties - (i) Warning with a copy in the personal file (character roll) ; (ii) censure ; (iii) withholding of promotion ; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negli-	Government		
2	Research Officer					

7

6

5

4

3

2

1

gence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and associations or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and

(v) withholding of increments of pay.

(2) Major penalties

(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction

7

6

5

4

and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the further increments of his pay ;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(viii) compulsory retirement ;

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Serial No.	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second or final appellate authority, if any
1.	Assistant Director/ Tabulation Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	—	—
2.	Research Officer				

A. BANERJEE,

Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 17-2022]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2022
(6 वैशाख, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 51/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 25 अप्रैल, 2022 - हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप-ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	205-206
	2. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 52/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 25 अप्रैल, 2022 - हरियाणा भू-अभिलेख (ग्रुप-ग) राज्य सेवा संशोधन नियम, 2022.	207-208
	3. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 53/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 4 अप्रैल, 2022 - हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	209-210
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अप्रैल, 2022

संख्या सांका०नि० 51/संवि० /अनु० 309/2022— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1989, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1989 में, नियम 5 में, "बाईस" तथा "पैंतीस" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह" तथा "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

पी० के० दास,
वित्तायुक्त राजस्व तथा अप्पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 25th April, 2022

No. G.S.R. 51/Const. /Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Land Records Statistical (Group B) Service Rules, 1989, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Land Records Statistical (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Land Records Statistical (Group B) Service Rules, 1989, in rule 5, for the words and signs "twenty-two" and "thirty-five", the words and signs "eighteen" and "forty-two" shall respectively be substituted.

P. K. DAS,
Financial Commissioner Revenue And
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.